न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारीः— श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 48/2010

वादीः—

1. श्रीमति फुलकी पुत्री श्री किलया उर्फ कल्याण जी पत्नि श्री डूंगाराम जी सांसी, जाति सांसी उम्र 50 वर्ष, निवासी नयागांव, पाली तहसील व जिला पाली (राज.)

बनाम प्रतिवादीगणः—

1. श्री बाबुलाल पुत्र श्री रामा
2. श्री भगवानदास पुत्र श्री रामा
3. श्री महेन्द्र उर्फ प्रभु पुत्र श्री रामा
4. श्री भीमादेवी पुत्री श्री रामा
5. श्री शांति बेवा श्री मनोजकुमार
6. श्री परमेश्वर पुत्र श्री मनोज कुमार
7. श्री महावीर पुत्र श्री मनोज कुमार
8. श्री विक्रम पुत्र श्री मनोज कुमार समस्त जातिगण भील, निवासीगण भीलो का छोटाबास, सूरजपोल पाली तहसील व जिला पाली (राज.)
9. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार, पाली

उपस्थितिः—

1. वकील श्री अशोक अरोड़, वादी
2. वकील श्री रजनीश राजपुरोहित, प्रतिवादी

वाद अंतर्गत धारा 88,92ए,188 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम, 1955

—:निर्णयः— दिनांक 23.07.2019

1. वादी ने यह वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध धारा 88,92ए,188 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पाली मे नयागांव मे खसरा नम्बर 547 बारानी अव्वल रकबा 100 बीघा भूमि स्थित है जिसमें 10 बीघा 10 बिस्वा भूमि कलिया उर्फ कल्याण जी पुत्र श्री चन्द्रा जी सांसी की खातेदारी भूमि है इस खसरा नम्बर 547 की भूमि में वादी के पिता कलिया उर्फ कल्याण जी की 10 बीघा 10 बिस्वा भूमि स्थित थी

2. कलिया उर्फ कल्याण जी का 20 वर्ष पूर्व स्वर्गवास हो चुका है उनकी मृत्यु की पश्चात् वादी एकमात्र विधिक उत्तराधिकारी विधिक वारिस है और कलिया उर्फ कल्याण जी के जीवनकाल में उनके साथ वादी का उस भूमि पर कब्जा काश्त रहा और उनकी मृत्यु पश्चात् वादी का कलिया उर्फ कल्याण जी के हिस्सा 10 बीघा 10 बिस्वा भूमि पर लगातार कब्जा काश्त है इस प्रकार यह भूमि वादी की पैतृक एवं पुश्तैनी कब्जा काश्त शुदा भूमि है जो भूमि इस खसरा नम्बर 547 में पाली से सोजत जोने वाले रोड के डावी तरफ रेल्वे घुमटी के आगे रोड पर स्थित है जो 10 बीघा 10 बिस्वा भूमि ही इस वाद की विषय वस्तु है जिसे आगे वादग्रस्त कृषि भूमि के नाम से संबोधित किया जायेगा। आज भी वादग्रस्त कृषि भूमि पर एकमात्र वादी का ही कब्जा काश्त है और वादी एकमात्र काबिज है। वादी के पिता कलिया उर्फ कल्याण जी सांसी जाति के थे और वादी भी उनकी पुत्री होने से सांसी जाति की है जो अनुसूचित जाति मे शुमार है और अनुसूचित जाति की कृषि भूमि गैर अनुसूचित जाति को कोई भी व्यक्ति जो चाहे अनुसूचित जन जाति अथवा स्वर्ण जाति को हो नहीं खरीद सकता है। पुर्णतह धारा 42 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के प्रावधानो के अनुसार प्रतिबंधित है। वादग्रस्त कृषि भूमि पूर्व में वादी के पिता कलिया उर्फ कल्याण जी सांसी की पुश्तैनी खतेदारी कब्जा काश्त शुदा की थी उनकी मृत्यु उपरांत वादी को विरासत में उपर दर्ज अनुसार वादग्रस्त कृषि भूमि प्राप्त हुई है मौके पर कब्जा काश्त केवल वादी का ही उसके पिता की मृत्यु से लगातार आज दिन तक चला आ रहा है। आज से 20—25 दिन पूर्व प्रतिवादी संख्या 1 से 8 वादग्रस्त कृषि भूमि पर आये और वादी को कहा कि वादग्रस्त कृषि भूमि को उनके पूर्वज रामाजी ने वादी के पिता कलिया उर्फ कल्याणजी से खरीद कर की हुई है और उसके आधार पर रामाजी के नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज हुई और रामाजी के स्वर्गवास के पश्चात् उन्होनें वादग्रस्त कृषि भूमि अपने नाम दर्ज करवा ली है और वे मौका मिलते ही वादग्रस्त कृषि भूमि अपने नाम दर्ज करवा ली है और

सहायक कलेक्टर
पाली

Scanned by CamScanner

पति व पिता अनुसूचित जाति के व्यक्ति है और आप और आपके पूर्वज अनुसूचति जन जाति के व्यक्ति हो और आपके पूर्वज रामा जी को वादीगण के पति व पिता से यह भूमि खरीद करने का कोई अधिकार नहीं था इसलिए आप लोगों (प्रतिवादीगण संख्या 1 से 8 को) वादग्रस्त कृषि भूमि मे प्रवेश नहीं करने देगी। तब प्रतिवादीगण संख्या 1 से 8 ने वादीगण को धमकी दी कि वे जोर जबरदस्ती बल जबरी पुलिस व लाठी के बल पर वादग्रस्त कृषि भूमि मे प्रवेश पर कब्जा करके रहेगे। तब वादीगण ने इस बाबत पता किया तो प्रतिवादीगण के पूर्वज रामा के पक्ष मे फर्जी कुटरचित बेचाणनामा निष्पादित होने और उस आधार पर रेवेन्यू रिकार्ड में प्रतिवादीगण संख्या 1 से 8 के नाम होने की जानकारी पहली बार हुई। ऐसी स्थिति मं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 8 को अपने उपरोक्त कृत्यो से रोका जाना नितान्त आवश्यक है। अन्यथा वादी के विधिक हक अधिकार प्रथम दृष्टया प्रभावित होगे इस प्रकार सुविधा का संतुलन भी पूर्ण रूप से वादीगण के पक्ष मे है। वादग्रस्त कृषि भूमि कभी भी वादीगण के पति व पिता जागा पुत्र गोपा जी ने प्रतिवादीगण के पूर्वज रामा जी को कभी भी रूप मे बेचाण हस्तान्तरण नहीं की थी।

लेकिन रामा पुत्र वेनाजी जाति भील निवासी पाली तहसील व जिला पाली ने उपरोक्त मेनडेटरी प्रावधानो के विपरीत उपरोक्त वादग्रस्त कृषि भूमि जागा पुत्र गोपा जी से फर्जी रूप से कुटरचित एवं फर्जी दस्तावेज के आधार पर खरीद करना बताया है फॉर द सेक ऑफ द आरग्युमेन्ट उक्त बेचाणनामा सही होना मान भी लिया जावे तो भी विधिक रूप से उक्त पंजीबद्ध विक्रय पत्र का दस्तावेज शून्य दस्तावेज है और उनसे प्रतिवादीगण संख्या 1 से 8 को कोई हक, हकूक अधिकार भी उत्पन्न नहीं होते है न ही उनसे प्रतिवादीगण संख्या 1 से 8 को कोई स्वत्व हक हकूक अधिकार भी प्राप्त होते है लेकिन प्रतिवादीगण संख्या 1 से 8 ने गलत रूप से दस्तावेज पंजीयन करवाकर उनके आधारो पर राजस्व रेकर्ड में म्युटेशन संख्या 482 दिनांक 15.11.1976 के द्वारा उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि का रामा पुत्र वेनाजी जाति भील के नाम अमलदरामद करवा दिया। उक्त राजस्व रेकर्ड में किये गये इन्द्राज भी विधिक रूप से शून्य है क्योंकि अनुसूचित जाति की कृषि भूमि अनुसूचित जन जाति का व्यक्ति भी विधिक रूप से नहीं खरीद सकता है और जागा पुत्र गोपा जी अनुसूचित जन जाति का व्यक्ति था इसलिए प्रतिवादीगण संख्या 1 से 8 के पूर्वज रामा जी उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि खरीद करने हेतु विधिक रूप से प्रतिबंधित होने से भी उक्त दस्तावेज के आधार पर प्रतिवादीगण संख्या 1 से 8 को कोई हक हकूक अधिकार प्राप्त नहीं होते है न ही प्रतिवादीगण संख्या 1 से 8 वादग्रस्त कृषि भूमि का कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी है। जोगा पुत्र गोपा जी उक्त तथाकथित फर्जी कुटरचित बेचाण नामा निष्पादित होने के समय अनुसूचित जाति में शुमार था और प्रतिवादीगण संख्या 1 से 8 के पूर्वज रामाजी भील जाति के होने से अनुसूचित जन जाति में शुमार थे और आज भी वादीगण अनुसूचित जाति में शुमार है और प्रतिवादीगण संख्या 1 से 8 अनुसूचित जन जाति मे शुमार है।

प्रतिवादीगण संख्या 1 से 8 के पूर्वज रामा जी के पक्ष में निषपादित तथाकथित फर्जी कुटरचित विक्रय विलेख वे गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति होने से अनुसूचति जन जाति के व्यक्ति होने से उक्त विक्रय विलेख शून्य है और शून्य दस्तावेज के आधार पर राजस्व रेकर्ड में किये गये इन्द्राज भी शून्य है और राजस्व रेकर्ड में शून्य दस्तावेज के आधार पर जो रामाजी के नाम म्युटेशन संख्या 482 भरा गया वह भी शून्य है और म्युटेशन संख्या 482 के आधार पर रामाजी की मृत्यु के पश्चात म्युटेशन संख्या 1361 जो भरा गया और उसके आधार पर प्रतिवादीगण संख्या 1 से 8 के नाम राजस्व रेकर्ड मे जो इन्द्राज किये गये वे इन्द्राज भी शून्य है इसके अलावा भी विधिक व्यवस्था के अनुरूप प्रतिवादीगण संख्या 1 से 8 को वादग्रस्त कृषि भूमि में प्रवेश करने वादीगण के कब्जा काश्त उपभोग मे दखलअंदाजी करने का कोई हक हकूक अधिकार नहीं है और उनसे उनको रोका जाना नितान्त आवश्यक है। अन्यथा वे संख्या, बाहुबल, पैसे प्रभाव में वादी की तुलना मे ज्यादा मजबूत है और वे वादी के वादग्रस्त कृषि भूमि मे कब्जा काश्त उपयोग उपभोग में दखलअंदाजी करेंगे जिससे वादी को अशोधनीय क्षति होगी जिसका मुल्यांकन मुद्रा में भी संभव नहीं है क्योंकि वादग्रस्त कृषि भूमि है वादी के पति व पिता की मृत्यु उपरान्त भी वादीगण का कब्जा काश्त है। शून्य दस्तावेज के आधार पर वादग्रस्त कृषि भूमि के सम्बन्ध में जो इन्द्राजात प्रतिवादीगण संख्या 1 से 8 से पूर्वज रामाजी के पक्ष में और प्रतिवादीगण संख्या 1 से 8 के पूर्वज रामाजी के पक्ष मे और प्रतिवादीगण संख्या 1 से 8 के पक्ष मे किये गये उन इन्द्राजात को हटाया जावे और वादग्रस्त कृषि भूमि वादी के नाम दर्ज की जावे एवं वादीगण की खातेदारी की होने से घोषणा की जावे एवं वाद के विचारण के दौरान यदि प्रतिवादीगण वादीगण को वादग्रस्त भूमि से बेदखल कर देते है तो वादग्रस्त भूमि का कब्जा पुनः वादी को दिलाया जावे वादीगण को वादग्रस्त भूमि का खातेदार घोषित किया फरमावे।

सहायक कलेक्टर

Scanned by CamScanner

जाति के व्यक्ति की खातेदारी की रही है जिसे अनुसूचित जन जाति के व्यक्ति द्वारा खरीद करना कथन किया जा रहा है जो दस्तावेज पूर्णतहः शून्य है उससे प्रतिवादीगण संख्या 1 से 8 को किसी प्रकार के हक हकूक अधिकार विधिक रूप से न तो प्राप्त हुए है और न ही हो सकते है। इस कारण भी वादी स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारी है एवं खातेदारी अधिकार एवं खातेदार होने की घोषणा करवाने की अधिकारी है। शून्य दस्तावेंज के आधार पर वादग्रस्त कृषि भूमि के सम्बन्ध में जो इन्द्राजात प्रतिवादीगण संख्या 1 से 8 से पूर्वज रामाजी के पक्ष में और प्रतिवादीगण संख्या 1 से 8 के पूर्वज रामाजी के पक्ष मे और प्रतिवादीगण संख्या 1 से 8 के पक्ष मे किये गये उन इन्द्राजात को हटाया जावे और वादग्रस्त कृषि भूमि वादी के नाम दर्ज की जावे एवं वादी की खातेदारी की होने से घोषणा की जावे एवं वाद के विचारण के दौरान यदि प्रतिवादीगण वादी को वादग्रस्त भूमि से बेदखल कर देते है तो वादग्रस्त भूमि का कब्जा पुनः वादी को दिलाया जावे वादी को वादग्रस्त भूमि का खातेदार घोषित किया फरमावे।

3. वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर बहस सुनी गयी श्रीमान जिला कलेक्टर द्वारा पारीत निर्णय का अवलोकन किया गया जिससे यह सिद्ध होता है कि प्रतिवादी संख्या 3 व 5 की पहले से ही मृत्यु हो रखी है। इसके बावजूद उनके विरूद्ध यह दावा लाया गया है। वादी द्वारा मृतको के कायम मुकाम पुत्र, पुत्री, पत्नि को संयोजित नहीं किया है अतः पक्षकारों के असंयोजन के कारण दावा चलने योग्य नहीं पाया जाता है।

4. उपरोक्त समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए दावा मृतक व्यक्तियों के विरूद्ध होने, मृत खातेदारों के कायम मुकाम के पक्षकार संयोजित नहीं करने तथा दावा तकनीकी आधार पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह वाद खारिज किया जाता है तथा वादी नये सिरे से वाद पेश करने हेतु स्वतंन्त्र है।

सहायक कलेक्टर
पाली (राज.)

यह आदेश आज दिनांक 23.07.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
पाली (राज.)

Scanned by CamScanner